न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 63/2013/डिक्री

1. नाथुलाल पिता नन्दा तेली
2. लीलाबाई बेवा नन्दा तेली
3. गीताबाई बेवा नन्दा तेली
   सभी निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. लीलाबाई बेवा रमेश मीणा
2. सुरेश पिता रमेश मीणा
   दोनो निवासी कानोड हा.मु. अर्चना टॉकीज के सामने नई सब्जी मण्डी के पीछे बर्फ फैक्ट्री के पास प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
3. सरजुबाई पिता कस्तुरा मीणा
   निवासी कानोड तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
4. राज्य जरिये जिला कलेक्टर प्रतापगढ़
5. राज्य जरिये तहसीलदार अरनोद
6. अधिशाषी अभियन्ता महोदय (सा.नि.वि.) प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
निर्णय एवं डिकी दिनांक 07/09/2012 प्रकरण संख्या 135/2008

उपस्थित – 1. श्री बंसतीलाल पोखरना – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 व 2
3. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–3

निर्णय दिनांक : – 26.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/वादी क्रमांक 1 के पति एवं पिता व रेस्पोडेन्ट/वादी क्रमांक 3 सरजु बाई ने उपखण्ड अधिकारी महोदय प्रतापगढ राज. के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट. के तहत अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के पिता के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा अरनोद मे स्थित साबिक आराजी नम्बर 840 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा रेस्पोडेन्ट/वादीगण

के श्वसुर, दादा व पिता श्री कस्तुरा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी जो तहसीलदार अरनोद जो वाद मे प्रतिवादी संख्या 3 है ने बिना किसी अधिकार के नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 05/01/1971 से बिलानाम सडक अंकित कर दी और इसका मुआवजा भी अदा नही किया। इसके पश्चात् अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रमांक 1 के वारिसान अपीलान्ट 1, 2 व 3 के पिता व पति ने उक्त भूमि मे से 7 बिस्वा भूमि नामान्तरण संख्या 630 दिनांक 10/03/1976 से गलत तौर पर अपने नाम अंकित करा ली है जबकि वादीगण/रेस्पोडेन्टस अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। वादीगण की आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1,2 व 3 के पिता अपने खाते मे किसी भी तरह से दर्ज दर्ज नही करा सकते है। अपीलान्ट क्रमांक 1,2 व 3 के पिता नन्दा ने जो 7 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज कराई है जिसका आराजी नम्बर 840/1 रकबा 7 बिस्वा बना है। इस आराजी का सेटलमेन्ट मे नवीन नम्बर 1043 रकबा 0.12 व 1044 रकबा 00.04 बना है तथा बिना किसी कारण के अपीलान्ट क्रमांक 1,2 व 3 के पिता नन्दा के नाम दर्ज कर दिये जबकि उक्त आराजीयात वादीगण /रेस्पोडेन्ट के कब्जे मे चली आ रही है। अतः वादी/रेस्पो. मौजा अरनोद की गत आराजी नम्बर 840 व 840/1 का खातेदार है व उक्त आराजी के नवीन नम्बर 1043 रकबा 0.12 व 1044 रकबा 0.04 बने है वादीगण/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जावे। प्रतिवादी/अपीलान्ट ने वाद का जवाब प्रस्तुत कर वादीगण/रेस्पोडेन्ट के कथनो का खण्डन कर जवाब मे यह प्रतिवाद लिया है कि कस्तुरा के उत्तराधिकारियो को पक्षकार नही बनाया है। इसलिये वाद चलने लायक नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार अरनोद द्वारा उचित कार्यवाही की जाकर अवाप्ति की गई थी। वादग्रस्त भूमि आवाप्त होने के पश्चात् कस्तुरा ने अपने जीवनकाल मे 27 वर्षो तक उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की। भूमि अवाप्ति के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा नियमानुसार आयोजित निलामी मे अधिकतम बोली लगाने के कारण अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नन्दा को सन् 1976 मे दी है। जिसका नियमानुसार इतंकाल नम्बर 630 दर्ज हुआ है और तभी से अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा खातेदार होकर काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 नन्दा ने अपने जवाब के विशेष कथन मे यह भी अंकित किया है कि मुस्ममात सरजु ने इंतकाल नम्बर 630 दिनांक 10/03/1976 प.ळ. अरनोद के विरूद्ध एक अपील संख्या 7/94 उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ मे पेश की थी जो उपखण्ड अधिकारी

प्रतापगढ़ द्वारा अपील निरस्त की गई, आदि प्रतिवाद के आधार पर वादीगण का वाद संव्यय खारीज किये जाने का निवेदन किया। इससे असंतुष्ट होकर वादी अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल नम्बर 630 दिनांक 10/03/1976 को अनदेखा कर निर्णय पारित किया। यदि उक्त वर्णित इंतकाल का अवलोकन किया जाता तो स्पष्ट हो जाता कि प्रतिवादी नन्दा को उक्त विवादित जमीन विधिवत दी जाकर कब्जा दिया। उसी दिन से प्रतिवादी नन्दा व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान अपीलान्ट काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजीयात को दिनांक 05/01/1971 इंतकाल नम्बर 425 से बिलानाम सरकार के खाते मे दर्ज की गई जिसके विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्ट के आज तक कोई कार्यवाही नही की। वादीगण /रेस्पोडेन्ट की भूमि विधिवत् सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई। इसके अलावा वादीगण/रेस्पोडेन्ट की ही आराजीयात अवाप्त नही की बल्कि मि.न. 136/69 दिनांक 05/12/1969 को श्री सालगराम पिता चेनराम ब्राह्म्ण की आराजी भी अवाप्त कर बिलानाम सडक दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि अवाप्ति की साही कार्यवाही विधिवत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण प्रत्येक तनकीयात को स्पष्टीकरण द्वारा निर्णित करना था। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पत्रावली इस आशय के साथ रिमाण्ड की थी कि अधिशाषी अभियन्ता (सा.नि.वि.) प्रतापगढ को पक्षकार बनाया जाकर एक तनकी इनके जिम्मे रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री मे कही उक्त विभाग को पक्षकार नही बनाया और सीधे प्रोसेडिग मे ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया। मियाद का जहां तक प्रश्न है, निर्णय की जानकारी जो ही मिली नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः मियाद मे छूट प्रदान की जावे। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पूर्व मे भी अपील संख्या 123/2004 मे निर्णय दिनांक 31/03/2006 के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग को पार्टी बनाकर तनकी कायम कर निर्णय पारित करने के

निर्देश दिये गये है। जिनमे से 1 से 8 नम्बर तनकी पूर्ववत रखी गई तथा तनकी संख्या 9 तथा 10 नही बनाई जाकर निर्णय पारित किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित कर लेने के कारण राजकीय भूमि के रूप मे प्रश्नगत भूमि दर्ज हो गई। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इसका नामान्तकरण खुल चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय समस्त तथ्यो का ध्यान नही रखा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बयान किया कि अपील अवधि पार है। जिसके कारण प्रारम्भिक तौर से यह चलने योग्य नही है। इसके सम्बन्ध मे उनके द्वारा आरआरटी पार्ट–1, 2017 पेज 711 की नजीर पेश की गई है। जहां तक मेरिट का प्रश्न है, के सम्बन्ध मे अभिभाषक का कहना है कि दावा सही डिक्री किया गया है। सवर्ण जाति को उक्त भूमि आंवटित करना बताया गया है, मुआवजे के रूप मे भूमि के बदले भूमि किसी को नही मिली है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलार्थी लिमिटेशन एवं गुणावगुण के आधार पर खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण जो कस्तुरा मीणा के वारिसान है। साबिक आराजी राजस्व ग्राम अरनोद खसरा नम्बर 840 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा विवादग्रस्त है। नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 05/01/1971 उक्त भूमि कस्तुरा के नाम की जो बिना अधिग्रहण के बिलानाम सडक के रूप मे दर्ज कर दी गई। यही आराजी दिनांक 10/03/1976 नामान्तकरण संख्या 630 से अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई। नन्दा के नाम अनुसूचित जाति की भूमि किसी भी सूरत मे नही चढाई जा सकती है। जब सडक ही नही बनी तो ऐसी सूरत मे उक्त भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम कैसे दर्ज हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 10 तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 10 तनकीयात कायम कर राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना करते हुए विस्तार से निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मे यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मूल खातेदार कस्तुरा की थी जो अनुसूचित जाति का सदस्य है। यदि पिता के खाते की भूमि को उनके वारिसान आंवटन की प्रथम पात्रता रखते है। रेस्पोडेन्टस/वादीगण कस्तुरा के विधिक वारिसान है तथा वर्तमान मे आराजी संख्या 1043 रकबा 0.12 है0 पर काबिज है। इसी को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद द्वारा प्रकरण संख्या 135/2008 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/09/2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़